न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 04 सन 2020

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र नथमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– स्वय सायल

निर्णय दिनांक :– 17/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी नेयह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 729/7.04 ,730/24.03 भूमि का खाता विभाजन होने पर खसरा न0 729/1 की 3.12 बीधा , खसरा न0 730/2 की 6.17 बीधा कुल 10.09 बीधा भूमि प्रार्थी के भाई के हिस्से में आई थी एवं खाता विभाजन के नक्शा में प्रत्येक काश्तकार का रंग अलग अलग भरा गया था परन्तु अब जो ऑनलाईन नक्शा आया है में हमारी भूमि गलत दिशा में दर्शा रहा है किलाबन्दी मुरब्बाबन्दी में नक्शा सही होना आवश्यक है अतः निवेदन है कि खाता विभाजन के अनुसार नक्शा सही करवाने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार नोहर से विस्तृत जांच रिपोर्ट चाही गई जिसके अनुसार ग्राम भुकरका में मोहनलाल किशनलाल पि0 नत्थुराम , सुरजाराम पुत्र पदमाराम जाति ब्रहाम्ण साकिन देह , प्रीतमसिह व चन्दसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा के नाम शामिल खाते मे थी जिसका खाता विभाजन करवाने पर सुरजाराम पुत्र पदमाराम को खसरा न0 730/1 की 10.09 बीधा , मोहनलाल किशनलाल पि0 नत्थुराम के खसरा न0 729/1 की 3.12 बीधा 730/2 की 6.17 बीधा प्राप्त हुई नई जमाबन्दी बनाते समय आनलाईन नक्शा में खसरा न0 730/1 को 730/4 , 730/2 को 730/3 , 730/36 को 730/2 दर्ज हो गया तथा ऑनलाईन में नक्शा मे खसरा न0 729/1 व 729/2 की दिशा ही बदल दी है जिसे जमाबन्दी व नक्शा से सही किया जाना उचित है रिपोर्ट शामिल मिलस की जाकर सायल को सुना गया ।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट उचित है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा मे संशोधन करने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार ग्राम भुकरका में मोहनलाल किशनलाल पि0 नत्थुराम , सुरजाराम पुत्र पदमाराम जाति ब्रहाम्ण साकिन देह , प्रीतमसिह व चन्दसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा के नाम शामिल खाते मे ~~थी~~ जिसका खाता विभाजन करवाने पर सुरजाराम पुत्र पदमाराम को खसरा न0 730/1 की 10.09 बीधा , मोहनलाल किशनलाल पि0 नत्थुराम के खसरा न0 729/1 की 3.12 बीधा 730/2 की 6.17 बीधा प्राप्त हुई जो जमाबन्दी एवं खाता विभाजन से साबित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी बनाते समय आनलाईन नक्शा में खसरा न0 730/1 को 730/4 , 730/2 को 730/3 , 730/36 को 730/2 दर्ज हो गया तथा ऑनलाईन में नक्शा में खसरा न0 729/1 व 729/2 की दिशा ही बदल दी है जिसे जमाबन्दी व नक्शा से सही किया जाना उचित है

तहसीलदार नोहर की अभिशषां एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 730/4 को 730/1 रकबा 2.643हैक एवं खसरा न0 730/3 को खसरा न0 730/2 रकबा 1.732हैक व खसरा न0 730/2 को 730/3 रकबा 1.732हैक तथा खसरा न0 729/2 रकबा 0.911हैक उत्तर दिशा की बजाय पूर्व दिशा तथा खसरा न0 729/1 रकबा 0.911 हैक दक्षिण दिशा की बजाय पश्चिम दिशा में संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/2/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner